तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर अहकाम तामील
	प्रेमप्रकाश v/s छुन्नालाल वगैरह T-9.	
14/11/18	वकील फरीकेन उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 19.12.18 को पेश है।	
	19/12/18 वकील फरीकेन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 09/1/19 को पेश हो।	
	9/1/19 वकील फरीकेन उप० बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को ताकेसला दफा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात की मौके की स्थिति बनाये रखें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली कैसल रहुमा होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दाखिल रहे।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
24 / 13	अस्थायी निषेधाज्ञा	27.08.13	09.01.19

1. श्यामलाल |
2. लक्खीलाल | पुत्रान मूला
3. जगदीश |
4. केशर बेवा मूला

सभी जातियान मीना निवासीयान लॉगटीपुरा(सलेमपुर) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बृजलाल पुत्र रामफूल 2. गिर्राज पुत्र जौहरी (मृतक) 2/1. शेरसिंह पुत्र गिर्राज 2/2 भूरसिंह पुत्र गिर्राज 2/3. गुड्डी पुत्री गिर्राज 2/4. रिसाल पुत्री गिर्राज 2/5 मल्लो पत्नि गिर्राज 3. रामकेश 4. हरकेश 5. छाजू पुत्रान जौहरी 6. शेरसिंह 7. भूरसिंह पुत्रान गिर्राज 8. मनोज पुत्र रामकेश 9. राजकुमार पुत्र हरकेश 10. भरतबाई पत्नि रामकेश 11. मल्ला पत्नि गिर्राज 12. रामेश्वरी पत्नि हरकेश सभी जातियान मीना निवासीयान लॉगटीपुरा (सलेमपुर) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:– श्री मदनमोहन गुप्ता वकील प्रार्थीगण।
श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 987 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 989 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 1052 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 1060 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है जो कि प्रार्थीगण की सैपरेट खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे अप्रार्थीगण का कोइ किसी प्रकार का लेना देना नही है। अप्रार्थीगण पैसे वाले लट्ठ वाले सहजोर व्यक्ति है। दिनांक 12.08.2013 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1060 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा मे से प्रार्थीगण ने आवासीय मकानों का निर्माण करवा रखा है जिसमे अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा करके मकानों पर भी कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी मकान को हडपना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से हाथ जोडकर कहा कि हमारी खातेदारी व मकानों को आप लोग क्यों हडपना चाहते हो तो अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त आराजी व मकान पर हम कब्जा करेंगे। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 4 लगायत 12 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये है इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 1, 2/1 ता 2/5 3 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण बहुत ही लचर है और खारिज होने योग्य है। विवादित जमीन से वादीगण/प्रार्थीगण

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

का कोई ताल्लुक नही है ना ही काबिज है, ना ही कभी काबिज रहे है। प्रार्थीगण के कोई हक हकूक खातेदारी की विवादित आराजी मे हासिल नही है। हम अप्रार्थीगण हमारे बुजूगों के समय से विवादित आराजीयात पर काबिज है। हमारे द्वारा कुआं खुदवाया गया है आधी से अधिक जमीन पर निर्माण हमारा हो रहा है। जिसमे हम मय परिवार के रह रहे है। राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन व उसके पहले व उसके बाद आज तक हम अप्रार्थीगण जमीन पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काविज चले आ रहे है हमसे पहले हमारे बुजुर्ग काबिज थें। जमाबंदी सम्बत 2016 से 2019 मे खसरा नं0 1060 शिकमी काश्त अप्रार्थीगण के बुजुर्ग रामफूल पुत्र जसराम जाति मीना निवासी लांगरीपुरा सलेमपुर दर्ज है तथा गिरदावरी सम्वत् 2016–2019 मे भी रामफूल की काश्त दर्ज है जिसे प्रार्थीगण ने छिपाया है। प्रार्थना पत्र मे अंकित पारिवारिक सजरा के अनुसार रामफूल के पुत्र जौहरी, बृजलाल, रामस्वरूप का आपस मे बाहमी बंटवारा हुआ था और विवादित जमीन जौहरी व बृजलाल के हिस्से मे आई है। रामस्वरूप के हिस्से मे अन्य जमीन आई है। अप्रार्थीगण बृजलाल व जौहरी के लड़के गिर्राज, रामकेश, हरकेश व छाजू जमीन पर काविज है। मौके पर बृजलाल व जौहरी के हिस्से हो रहे है। पक्के मकान लगभग 25 साल से बने हुए है। दौपल्ला, पाटोर, बाड़े चारों के बने हुए है। अप्रार्थीगण का कब्जा ओपन होस्ट्राईल व एडवर्सल है। कब्जा मुखालफाना है। इसलिए कुल हक हकूक खातेदारी काश्तकारी हम अप्रार्थीगण मे वेस्ट हो चुके है। प्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर दायरी दावे से अन्दर 12 साल कभी भी काविज नही रहे है। इसलिए यदि प्रार्थीगण के कोई हक हकूक खातेदारी हो तो भी वे वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ समाप्त (एक्सटिगुईस) हो चुके है तथा दखल की मयाद भी निकल चुकी है। जमीन की कीमत बढ चुकी है गलत खातेदारी इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है प्रार्थीगण शुद्वहस्त से न्यायालय मे नही आये है, विवादित जमीन आधी से अधि कमे आबादी हो चुकी है, इसलिए प्रार्थना पत्र हाजा को सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है श्रीमान् को नही है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

वहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदी संवत् 2068–72 के मुताबिक प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे सावित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2016–19 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016–19 की छायाप्रति मे खसरा नम्बर 1060 अप्रार्थीगण के बुजुर्ग रामफूल का शिकमी काश्तकार के रूप मे दर्ज है इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण का अपने बुजुर्गो के समय से विवादित आराजी पर कब्जा रहा है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। उक्त दोनो पक्षों के सभी तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सवूतो के आधार पर तय किया जावेगा। वाद पत्र के निर्णय तक उभय पक्षों को पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षकारान को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 987, 989, 1052, 1060 कुल किता 04 कुल रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner